Azadi ka Amrit Mahotsav

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि. 09 नवम्बर, 2021

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर स्थापित गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण के सम्बध में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017 तथा 30.10.2019

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा विभागीय "कार्यो के गुणवत्ता परीक्षण "कराने के लिए सभी जिला / पंचायत समिति स्तर पर एक–एक विभागीय गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओ (Quality Testing Lab) स्थापित कराने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में अधिकांश पंचायत समिति स्तर पर उक्तानुसार विभागीय गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओ (Quality Testing Lab) स्थापित है। इसी कम में विभागीय पत्र दिनांक 30.10.2019 द्वारा जारी निर्देशानुसार विभागीय गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना के उपरान्त निजी प्रयोगशालाओं के परीक्षण/रिपोर्ट मान्य नहीं है। निजी प्रयोगशालाओं के आधार पर जारी उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र के कम में आपके स्तर से तकनीकी टीम द्वारा पुनः गुणवत्ता, परीक्षण/जांच कराकर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सम्बन्ध में संबंधित अभियंता द्वारा कार्य की प्रगतिरत/पूर्ण होने पर फोटो सहित सेम्पल एकत्रित कर निर्धारित मापदण्डानुसार गुणवत्ता परीक्षण किये जाने के निर्देश है।

अतः उक्त संबंध में विभागीय योजनाओं में सम्पादित किये जा रहे कार्यो के समय पर गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रगतिरत स्तर पर/पूर्ण होने पर फोटो सहित सेम्पल एकत्रित कर परीक्षण करने हेतु विभागीय अभियंताओं के साथ–साथ कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को भी अधिकृत किया जाता है। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के द्वारा प्रगतिरत स्तर पर/पूर्ण होने पर सेम्पल एकत्रित कर परीक्षण करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(के.के.पाठक)
शासन सचिव

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा ।
7. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
8. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
9. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
11. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि./ईजीएस) जिला परिषद् समस्त।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला संबंधित।
13. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)